

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

151

/2024-25 दिनांक: 19 जून 2024

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा-10 में निहित व्यवस्था के क्रम में दी गयी संस्तुति पर निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल-10) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्यपाल कुमार	का0खं0शि0अ0 नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल।	का0उ0शि0अ0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री लीलाधर नगरकोटी	का0खं0शि0अ0 कनालीछीना, पिथौरागढ़।	का0उ0शि0अ0 चौखुटिया, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री सुरेन्द्र दत्त बहुगुणा	का0उ0शि0अ0 मोरी उत्तरकाशी।	का0उ0शि0अ0 वेतालघाट, नैनीताल।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री क्षेत्रपाल सिंह टम्टा	का0उ0शि0अ0 जखौली, रूद्रप्रयाग।	का0उ0शि0अ0 बाराकोट, चंपावत।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री हेमचन्द्र गुरुरानी	का0खं0शि0अ0 गरूड़, बागेश्वर।	जिला शिक्षा एवं प्रशि0 संस्थान, बागेश्वर।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

Kwalep

12

L. Shukla
(रामकृष्ण खनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सेवार्ये-3(3)/

4293-4307

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kuldeep

As

(कपला बड़वाल) 6/6/2024
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड